

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 24-04-2019 दिन बुधवार जनपद लखनऊ।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23/24-04-2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना आलमबाग 01, बन्धरा 01, गोमतीनगर 01, गाजीपुर 02, बी0के0टी0 01 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में थाना वजीरगंज 01, तालकटोरा 01, इटौजा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में 06 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

धारा 110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

कैन्ट:-दिनांक 23-04-2019 को श्रीमती रंजना सचान प्रभारी निरीक्षक कैन्ट लखनऊ द्वारा अभि0 1-पूरन बहादुर पुत्र राज बहादुर निवासी कस्तूरबा मार्ग धनिया महरी थाना कैन्ट लखनऊ के विरुद्ध धारा 110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

बन्धरा:-दिनांक 23-04-2019 को थाना बन्धरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 25-11-2018 को वादी निवासी बन्धरा थाना बन्धरा जनपद लखनऊ द्वारा थाना बन्धरा पर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376/506 भा0द0वि0 व 03/04 पॉक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 1-राजेन्द्र के विरुद्ध पंजीत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री ओमकार नाथ यादव थाना बन्धरा, लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 23-04-2019 को एस0आई0 श्री ओमकार नाथ यादव थाना बन्धरा, लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमे के नामजद अभियुक्त 1-राजेन्द्र पुत्र मैकूलाल निवासी हरौनी थाना बन्धरा जनपद लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर हरौनी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बन्धरा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार।

महानगर:-दिनांक 24-04-2019 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-04-2019 को वादी निवासी वजीरगंज थाना वजीरगंज लखनऊ द्वारा थाना महानगर पर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376/506 भादवि व धारा 03/04 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1-अनुज गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0एस0आई0 श्री जमाल अहमद थाना महानगर लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 24-04-2019 को एस0आई0 श्री गोवर्धन राम थाना महानगर लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-अनुज गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता निवासी वजीरगंज थाना वजीरगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर रकाबगंज पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना महानगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

कृष्णानगर:-दिनांक 24-04-2019 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनिल कुमार दुबे पुत्र स्व0 जी0एस0 दुबे निवासी 561/74 सिन्धुनगर थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर

सूचना दिया कि वादी उक्त आवास के ऊपरी तल पर तथा वादी की भाभी नीचे के तल पर निवास करती है। दिनांक 19-04-2019 को वादी के बड़े भाई श्री नागेन्द्र कुमार दुबे की पत्नी का देहान्त हो जाने के कारण वादी अपनी भाभी व परिवार सहित अपने बड़े भाई के आवास डिप्टीखेडा पारा लखनऊ गये हुए थे। दिनांक 23-04-2019 को वादी कुछ घरेलू सामान लेने हेतु अपने आवास पर आया तो देखा कि वादी के मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व नकदी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 194/2019 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री पंकज सिंह मो0नं0 9453416062 द्वारा की जा रही है।

मड़ियाँवः-दिनांक 24-04-2019 को थाना मड़ियाँव द्वारा बताया गया कि श्री आशीष रावत पुत्र श्री राजाराम निवासी ग्राम सरौरा थाना मड़ियाँव लखनऊ ने थाना मड़ियाँव पर सूचना दिया कि आज दिनांक 24-04-2019 को उसका छोटा भाई मनीष रावत उम्र करीब 19 वर्ष जो घर पर मौजूद था, अचानक घर के कमरे में बने लोहे के कुण्डे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री काजी कमरुद्दीन मो0नं0 9838913152 द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मजदूरी करता था। मृतक अविवाहित था।